समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

II/पुनर्विलोकन/सीधी/भू.रा/2017/4633

यग्यलाल गुप्ता पिता हरिदास गुप्ता, निवासी–ग्राम खटखरी, तहसील–हनुमना, जिला–रीवा (म0प्र0) ....**आवेदक**

बनाम

1. छकौड़ी लाल पुत्र शिव प्रसाद गुप्ता
2. गोपालदास पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता
3. अशोक कुमार पुत्र शिवप्रसाद गुप्ता

निवासीगण–ग्राम हिनौती, तहसील–सिहावल, जिला–सीधी (म0प्र0)

....................**अनावेदकगण**

श्री रमाकान्त पटेल, कार्य. द्वारा आज दि. 24-11-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
14-12-17

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र बावत् प्रकरण क्र0 1342–दो/2010 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2017 <u>अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।</u>

मान्यवर,

<u>पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:–</u>

H.F. 14-12-17

1. यह कि उपरोक्त उन्मान प्रकरण मान्नीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को अन्तिम आदेश पारित किया गया है, जिस आदेश के पुर्नविलोकन बावत् यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. यह कि प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कण्डिका 4 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रकरण को निगरानी प्रकरण में बदलकर सुनने की मांग नहीं की गई है और इसी बिन्दु को आधार लेकर आवेदक की अपील ग्राह्य की गई है, जिसमें संबंध में स्पष्ट किया जा रहा है, मान्नीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष रीवा कैम्प में दिनांक 15.09.2015 अन्तिम बहस सुने जाने के दौरान आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया था कि अपील प्रकरण को निगरानी प्रकरण मानकर प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / ~~निगरानी~~ Rev / सीधी / भू.रा. / 2017 / 4633

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1342–दो / 2010 में पारित आदेश दिनांक 4–10–2017 पर से यह पुनरावलोकन आवेदन म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक ने दो आधार बताये है कि उन्होंने सर्किट कोर्ट रीवा में अपील को निगरानी में बदलने का आवेदन दिया था जिसे प्रकरण में समाहित कर विचार हुआ एंव महिला जयरजुआ पत्नि हरिदास गुप्ता की 2015 में मृत्यु हुई है परन्तु प्रकरण आदेश में चले जाने से एंव उनका आवेदक एकमात्र वारिस होकर पूर्व से रिकार्ड पर होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है। 3/ प्रकरण में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यदि अपील को निगरानी में बदलकर आदेश हेतु पुर्नविचार किया जाय ? अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 70 / 06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–12–07 से ग्राम हिनोता की नामांत्रण पंजी के स.क. 1 पर आदेश दिनांक 28–2–07 को निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके विरूद्व अपील होने पर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 23–6–07 से अपील निरस्त की है एंव राजस्व मण्डल से अपील निरस्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास का आदेश दिनांक 5–12–07 यथावत् रहा है। वाद विचारित भूमि के संबंध में मान. तृतीय व्यवहार	

रिव्यु

न्यायाधीश वर्ग–1 सीधी के प्रकरण क्रमांक 13 ए / 13 में पारित आदेश दिनांक 30–9–14 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के क्रम में मामले पर तहसील न्यायालय में सुनवाई होना है, जहॉ पक्षकारों को मान0 व्यवहार न्यायालय के आदेश प्रस्तुत करने एंव अन्य लेखी / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन पर विचार का औचित्य नहीं है। फलतः पुनरावलोकन आवेदन प्रचलन–योग्य न पाये जाने इसी–स्तर पर अमान्य किया जाता है।

सदस्य